[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2024/176

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायरा	तारीख फैसला	[illegible]
1	2	3	4	5
111-128	[illegible]/24 117/24	22/10/2024	Pass 28/5/20	[illegible]

अनवान

श्री मांगीलाल S/o भेरूलाल गुर्जर

निवासी अचला जी का खेड़ा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री दीपक मीणा

श्री भूरा S/o कल्याण

निवासी किशना का झोपड़ा

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

मदयून

श्री

FORM NO. III

[illegible]

11/5/2024 [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] रजिस्टर किया जाकर [illegible] हों। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक [illegible] हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

15/5/24 पत्रावली पेश हुई [illegible] उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। [illegible] दिनांक 16/5/24 को वास्ते आ. आ. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

16/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण को रजि. डाक से तामील करवाई गई। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते बहस / निर्णय आगामी दिनांक 22/5/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

22/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई एवं आदेश / निर्णय पारित किए गए। पत्रावली में तहसीलदार बिजौलिया को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या [illegible]   तारीख आदेश [illegible]

[illegible]

वादी

बनाम

1. [illegible]

2. [illegible]

3- [illegible]

विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:–आदेशः–

दिनांक 23/05/24

प्रार्थनापत्र मांगीलाल पुत्र भैरूलाल ने जरिये अभिभाशक श्री दीपक मीणा एडवोकट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 64 आराजी नंबर 1405/1264 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार /गैर खातेदार का तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 64 आराजी नंबर 1405/1264 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि** की बाशामालात पडोसियान पत्थरगढी

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं [illegible] शुल्क राशि रू0 /- [illegible] [illegible] के जमा होने पर [illegible] [illegible] पिथौरागढ़ को दिया जाये।

[illegible] [illegible] हो कर [illegible] से [illegible] हो।

आदेश सुनाया गया।

उप जिलाधिकारी

[illegible] अधिकारी

पिथौरागढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 117/24

दिनांक [illegible]

प्रेषिति –

तहसीलदार

बिजौलियां

विषय –प्रकरण संख्या 117/24 पत्थरगढी बाबत

1–मांगीलाल पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी [illegible] खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

प्रार्थी

बनाम

1– भूरा पुत्र कल्याण जाति भील उम्र वयस्क निवासी [illegible] तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

2– छोटु पुत्र लक्ष्मण जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी बाकरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

3–भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

–विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 64 आराजी नंबर 1405/1264 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि** की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी कि जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **श्यामपुरा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ